कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सी-17 /आडिट–अनुश्रवण लखनऊः दिनांक जुलाई 31, 2017

1– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०।

3– समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/
समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०।

विषय– <u>प्रदेश में 01–07–2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किये जाने विषयक।</u>

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 01–07–2017 से GST लागू किया गया है। प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा खाद, कीटनाशक, उपभोक्ता, बैंकिंग आदि व्यवसाय किये जा रहे हैं। अतः उपरोक्त व्यवसाय एवं सेवायं प्रदान करने वाली सहकारी समितियों को GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराते हुए GST अपने उपभोक्ताओं से प्राप्त कर जमा कराना होगा एवं अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सामयिक रिटर्न दाखिल करने होंगे। अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यवाही करने का दायित्व संबंधित संस्था का है परन्तु यह दृष्टिगत रखते हुए कि GST अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है एवं इसके अन्तर्गत सामयिक कायों का किया जाना आवश्यक है। अतः कृपया आप सुनिश्चित करें कि उपरोक्त समितियों द्वारा GST अधिनियम से संबंधित अधोलिखित कार्यवाही प्रभावी ढंग से सम्पादित करायी जाए।

(1) जिन संस्थाओं का सकल कारोबार रू. 20 लाख या उससे अधिक है, उनके लिए GST में पंजीकरण अनिवार्य है। सकल कारोबर से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से है। वस्तुओं में खाद, कीटनाशक, उपभोक्ता वस्तुएं आयेंगी। सेवाओं से आशय बैंकिंग सेवाएं जैसे बैंकों द्वारा NEFT/RTGS, ड्राफ्ट बनाना, लॉकर रेन्ट आदि से है। यह कारोबार 20 लाख से

लाख से अधिक होने पर पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आयकर विभाग द्वार जारी PAN (Permanent Account Number) आवश्यक है।

(2) ऐसे व्यक्ति जिनका सकल कारोबार (Threshold limit) से कम है स्वेच्छा से GST में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण उपरान्त ऐसे व्यक्तिओं को Normal Register Dealer का दर्जा प्राप्त होगा।

(3) पंजीकरण कराने के उपरान्त तुरन्त अपने आपूर्तिकर्ता को 15 digit पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(4) वेट/सर्विस टैक्स अधिनियम में पंजीकृत संस्थाओं के माइग्रेशन की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत समितियों को Provisonal ID प्रदान किया जाना है।

(5) केवल पंजीकृत संस्थाएं ही Input Tax Credit (ITC) का लाभ उठा सकती हैं। ITC का लाभ लेने हेतु संस्थाओं के पास आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी Tax Invoice या Debit note उपलब्ध होना चाहिए। ये उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ITC 40% / 60% की दर पर प्राप्त करने का प्रावधान है।

(6) **केवल पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा ही उपभोक्ताओं से GST कर लिया जा सकता है। अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा नहीं।**

(7) GST के तहत सभी रिटर्न GST Common Portal (www.gst.gov.in) पर Electronically दाखिल किये जायेंगे। समितियों को माहवार GSTR-1 में अगले माह के 10 तारीख तक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। GSTR-2 में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत डीलर से प्राप्त समस्त आपूर्ति का विवरण Invoicevar दिखाया जायेगा। ये सूचना आपूर्तिकर्ता (पंजीकृत) डीलर के GSTR-1 से आयेगी। GSTR-1 व GSTR-2 के आधार पर 20 तारीख तक GSTR-3 पर मासिक रिटर्न दाखिल किया जायेगा।

चूंकि GST 01 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। अतः जुलाई एवं अगस्त के माह हेतु रिटर्न दाखिल करने हेतु छूट प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत जुलाई एवं अगस्त 2017 में कर आसान रिटर्न (GSTR-3B) के आधार पर देय होगा एवं जिसे आगामी माह की 20 तारीख तक जमा कराना होगा। इसी प्रकार जुलाई हेतु GSTR-1 05 सितम्बर

तक एवं अगस्त के GSTR-1 20 सितम्बर तक जमा करना होगा। इसी प्रकार जुलाई GSTR-2 06 से 10 सितम्बर तक एवं अगस्त के GSTR-2 21 से 25 सितम्बर तक जमा किया जायेगा। यहां यह भी अवगत कराना उचित रहेगा कि GSTR-2, GSTR-1से Auto Populated होगा।

(8) सामान्यतः वस्तु या सेवा की आपूर्ति देनेवाला कर का भुगतान करता है पर कुछ विशे मामलों में कर के भुगतान की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले की होगी। जब एक पंजीकृत डीलर द्वारा अपंजीकृत डीलर से कर योग्य वस्तु या कर योग्य सेवा की आपूर्ति ली गयी हो तब यह व्यवस्था लागू होगी। इसे Reverse Charge Mechanism कहते है। इसके अन्दर वर्तमान में 12 सेवाओं में GST का दायित्व सेवा प्राप्त करनेवाली समिति का होगा। इन सेवाओं में मुख्यतः GTA (General Transport Agency) द्वारा वस्तु के परिवहन की सेवा एवं एडवोकेट/एडवोकेट फर्म्स से कानूनी सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में GST कर दायित्व सेवा प्राप्त करने वाली समिति का होगा।

(9) GST अधिनियम का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसका उल्लंघन करने पर अधिनियम में दण्ड का प्राविधान है।

GST Tax एक नया अधिनियम है। जिसके प्राविधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जा सकता है अतः इस संबंध में संस्थाओं को सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं से लिए गये कर को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा करना होगा एवं रिटर्न दाखिल करना भी वांछित है।

GST के संबंध में जनपदीय स्तर पर GST के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी किसी संशय की स्थिति में मार्ग दर्शन आप द्वारा प्राप्त कर संस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है, GST अधिनियम के संबंध में यदि संशय या मार्ग दर्शन की आवश्यकता हो तो उसके लिए संस्थाएं अपनी शीर्ष सहकारी संस्थाओं को लिख सकती हैं। मुख्यालय पर वित्तीय सलाहकार को GST हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है अतः GST के संबंध में किसी बिन्दु पर संशय होने पर उनसे भी मार्ग दर्शन आप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

GST अधिनियम भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पारित Path Breaking अधिनियम है अतः उपरोक्तानुसार इसके प्राविधानों का परिपालन कराना सुनिश्चित करें एवं GST में पंजीकरण क सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर साप्ताहिक सूचना उपलब्ध कराये।

(हरिराज किशोर)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०
मुख्यालय। 31-7-17

पत्रांक सी-17 /आडिट–अनुश्रवण दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

2– प्रबन्धक निदेशक, समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं, उ०प्र०, ।

(पी०के० अग्रवाल)
वित्तीय सलाहकार,
सहकारिता, उ०प्र०
मुख्यालय। 31.7.17

GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की समीक्षा

कुल समितियों की संख्या	PAN प्राप्त समितियों की संख्या	GST अधिनियम में पंजीकृत होने वाली समितियों की संख्या	अपंजीकृत समितियों की संख्या एवं कारण
1	2	3	4